न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 21/2023

बउनवान

1. इमामुद्दीन आयु 55 वर्ष पुत्र श्री रजाक शाह, जाति मुसलमान निवासी बालदड़ा तहसील अन्ता जिला बारां आधार नंबर 839887744965 मो0नं0 9799047024
2. इश्तियाक खानु आयु 56 वर्ष पुत्र श्री मुश्ताक अहमद जाति मुसलमान निवा. बालदड़ा हाल मुकाम मकान नंबर 56–ए, शिव नगर पुलिस लाईन कोटा जिला कोटा मो0नं0 8529109314
3. कृष्ण कुमार आयु 56 वर्ष पुत्र श्री गोपीबल्लभ जाति ब्राह्मण निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां आधार नंबर 806911867780 मो0नं0 9950469019
4. अब्दुल रहमान आयु 57 वर्ष पुत्र श्री जमील अहमद जाति मुसलमान निवासी सीसवाली हाल मुकाम प्लॉट नंबर 88 अजीत नगर रामपुरा रोड़ सांगानेर जयपुर आधार नंबर 870353715765 मो0नं0 9829447502

(अपीलांट्स)

बनाम

1. मुख्तार अहमद पुत्र श्री बजरूउद्दीन जाति मुसलमान निवासी बालदड़ा तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान ।
2. अब्दुल कलाम पुत्र श्री बदरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी बालदड़ा तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान ।
3. सुश्री गुन्नाज बाई पुत्री श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बालदड़ा तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन विभाग, बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)।

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 648 दिनांक 28.04.2015 ग्राम बालदड़ा तहसील अन्ता अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट (अपीलांट्स)
2. श्री पिंकेश जगरवाल एडवोकेट क्रम 1 ता 3 (रेंस्पोडेंट्स)
3. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट क्रम 1 व 3. (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक 28.02.2024

अपीलांट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके माल बालदड़ा की आराजी खसरा नंबर 01 रकबा 64.03 है. किस्म गै.मु. नदी राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 तक दर्ज रही है। उक्त आराजी में से खनन विभाग द्वारा 100 x 100 = 10000 वर्गमीटर प्रत्येक रेस्पो0/अप्रार्थी क्रम 01 ता 03 को लीज पर देकर खनन पट्टा जारी किया गया था। उक्त लीज के आधार पर तहसीलदार अन्ता ने रेस्पो0/अप्रार्थी क्रम 01 ता 03 को 100 x 100 = 10000 वर्गमीटर ... राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है तथा उक्त भूमि 64.01 है. में से कम कर ... रिकार्ड में 61.01 है. भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी संम्वत् 2073 से 2076 में ... की गई। उक्त भूमि को काली सिंध नदी पर बनने वाले नवनेरा ... के निर्माण ... डूब क्षेत्र में आने ... जमीनों की सूची तहसीलदार अन्ता से मांगी ... बालदड़ा की उक्त आराजी को ... नंबर 01 रकबा 64.01 है. में से 100 x 100 = 10000 वर्गमीटर प्रत्येक रेस्पो0/अप्रार्थी को वास्ते खनन के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.27 13:21:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज.)

जारी पट्टे के आधार पर खातेदारी की भूमि मानते हुए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में शामिल करते हुए सूची में अंकित कर भिजवा दी गई। काली सिंध नदी पर बनने वाले नवनेरा बैराज के निर्माण एवं डूब क्षेत्र के किसानों को भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन विभाग बारां द्वारा दिनांक 20.06.2022 को एवार्ड जारी किया गया है, जिसमें तहसीलदार अन्ता द्वारा भिजवाई गई। सूची अनुसार उक्त रेस्पो0/अप्रार्थी कम 01 ता 03 प्रत्येक को 53,33,068/- रूपये अक्षरे तिरेपन लाख तैंतीस हजार अड़सठ का एवार्ड जारी किया गया। जिसमें से अप्रार्थी कम 01 ता 03 को एवार्ड राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार अन्ता की अनियमितता के कारण राज्य सरकार को 1,59,99,204/- रूपये अक्षरे एक करोड़ उनसठ लाख निन्यानवे हजार दो सौ चार रूपये का नुकसान हुआ है। रेस्पो0/अप्रार्थीगण द्वारा यह जानते हुए कि गै.मु. नदी पर राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है, खनन विभाग का जो आदेश था वह मात्र उक्त खसरा नंबर की जमीन पर खनन करने का था तथा उसकी रॉयल्टी व लीज राशि अप्रार्थी कम 01 ता 03 द्वारा ही जमा करवाई गई होगी, परन्तु लीज राशि जमा करने से अप्रार्थी कम 01 ता 03 को किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। उक्त सभी कार्य अप्रार्थी कम 01 ता 03 द्वारा तत्कालीन तहसीलदार अन्ता से दुर्भीसंधी कर उक्त एवार्ड राशि प्राप्त की गई, जो वसूली योग्य है। उक्त संदर्भ में मौजूदा कानूनी स्थिति व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल रिट पीटिशन रहमान खां – बनाम – राजस्थान सरकार में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिये गये हैं कि सेटलमेन्ट से पूर्व भूमि की जो स्थिति है वो ही कायम रखी जावे, अप्रत्यक्ष रूप से रेस्पो0/अप्रार्थी कम 01 ता 03 को एवार्ड राशि दी जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। उक्त नामांतकरण संख्या 648 में कॉलम नंबर 09 पर काश्तकार के नाम के स्थान पर रेस्पो0/अप्रार्थी कम 01 ता 03 का नाम दर्ज किया गया है, जबकि उक्त नामांतकरण में मात्र खनन पट्टा जारी करने का नोट अंकित करना भी आवश्यक नहीं था, क्योंकि जमाबंदी में जो रिकार्ड परिवर्तन किया जाता है वह लेंड रिकॉर्ड रूल्स के अनुसार किया जाता है, परन्तु उक्त प्रकरण में न तो उक्त भूमि अप्रार्थी कम 01 ता 03 को आवंटित की गई है और ना ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। इस कारण उक्त नामांतकरण फेस ऑफ द रिकॉर्ड प्रथम दृष्टिया ही गलत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 648 को निरस्त किया जाकर रेस्पो0 को अवैध तरीके से दी गई अवार्ड राशि पुनः वसूल करने का निर्देश भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम बालदड़ा की आराजी खसरा नंबर 01 रकबा 64.03 है. भूमि किस्म गै.मु. नदी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 तक दर्ज रही है। उक्त आराजी में से खनन विभाग द्वारा 100 X 100 = 10000 वर्गमीटर प्रत्येक रेस्पो0/अप्रार्थी कम 01 ता 03 को लीज पर देकर खनन पट्टा जारी किया जिसके आधार पर रेस्पो0 कम 5 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 उल्लघंन कर गै.मु. नदी की आराजी रेस्पो0 कम 1 ता 3 के खातेदारी में दर्ज कर दी। जबकि गै.मु. नदी [illegible] प्रदत्त नहीं किये जा सकते। काली सिंध नदी पर बनने वाले नवनेरा बैराज के [illegible] डूब क्षेत्र में आने पर उक्त भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन [illegible] 20.06.2022 [illegible] एवार्ड जारी कर रेस्पो0 01 ता 03 प्रत्येक को 53,33,068/- रूपये अक्षरे [illegible] लाख तैंतीस हजार अड़सठ का एवार्ड जारी कर भुगतान कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 648 को निरस्त फरमाकर अवैध तरीके से प्राप्त की [illegible] अवार्ड राशि की वसूली एवं दोषी राजस्व कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.27 13:21:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

जिला कलेक्टर बारां (राज.)

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि रेस्पो0 कम 5 द्वारा खोला गया नामांतकरण वैध है। अपीलांट पीड़ित पक्षकार नहीं हैं तथा उनका लोकस स्टेन्डाई नही है। नामान्तरकरण को चुनौती हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्णित वारिस द्वारा ही दी जा सकती है। रेस्पो0 कम 5 द्वारा खनन पट्टे का नामान्तरकरण विधिवत खोला गया है। अपीलांट्स द्वारा दुर्भावनावश रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध यह कार्यवाही पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलांट कम 1 स्वंय अवैध खननकर्ता है। जिसके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में अवैध खनन के संबंध में प्रकरण दायर हुए हैं। अपीलांटगण को रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि वे ग्राम बालदड़ा के निवासी हैं जो उक्त भूमि के पास स्थित है तथा खनन से जान माल का खतरा होने से वे पीड़ित पक्षकार की श्रेणी में आते हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 648 ग्राम बालदड़ा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने कमशः एक–एक हैक्टेयर भूमि का रेस्पो0 कम 1 ता 3 के नाम माइनिंग लीज का दिनांक 28.04.2015 को स्वीकार किया। जिसका नोट जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम बालदड़ा खाता संख्या 1 पर दर्ज किया गया। इसके बाद बनी जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम बालदड़ा के नये खाता संख्या कमशः 355, 356 एवं 357 अंकित किये जाकर एक–एक है. भूमि रेस्पो0 कम 1 ता 3 के प्रत्येक के पृथक पृथक खाते दर्ज कर दी, जो भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन विभाग, बारां द्वारा नवनेरा बांध के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने पर प्रत्येक का 53,33,068/– रूपये मुआवजा नियत किया जाकर अवाप्त की गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स को उक्त मुआवजे का भुगतान भी कर दिया गया है, परन्तु भुगतान का कोई साक्ष्य उन्होने पत्रावली में पेश नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय को खनन पट्टे का नोट राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना था परन्तु उन्होने खनन पट्टे के आधार पर अवैध तरीके से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि (गै.मु.नदी) का राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकन कर दिया। जिसके आधार पर उक्त भूमि नवनेरा बांध के निर्माण/डूब क्षेत्र में आने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन विभाग, बारां द्वारा अवाप्त की जाकर मुआवजा निर्धारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ग्राम बालदड़ा तहसील अन्ता का नामान्तरकरण संख्या 648 दिनांक 28.04.2015 निरस्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी स्थापना/भू अभिलेख, कलेक्ट्रेट, बारां एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी,/अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बारां को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.27 13:21:02 IST
Reason: SelfAttested